[illegible] अधिवक्ता द्वारा धारा अन्तर्गत धारा 53-188 [illegible] के तहत पेश किया। रिपोर्ट करिता की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी गिरोह 23/8/18 को पेश हो तथा वादी गवाहान को तलब जारी किया जावे। वादी गिरोह 23/8/18 को पेश हुआ।

वादी वकील पेश हुई वादी गवाह उपस्थित आये तथा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि आप प्रार्थी को गवाही लेना चाहते हो तथा कोई अधीन [illegible] गवाही चाहते हो प्रार्थना पत्र लिखा किया जाता है प्रार्थना पत्र को पढ़कर प्रार्थना सुनकर स्वीकार किया। वादी की परिवार [illegible] द्वारा की गयी। अतः प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है तथा धारा लिखी की [illegible] प्रकरण नम्बर के कम किया जाकर फैसला किया जाता है प्रकरण फाइनल [illegible] डाला जाए।

सीताराम